मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा में उप निरीक्षक के पदों की पूर्ति हेतु विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2023

विभागीय नियम

कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक/1(ब)उ.नि./स्था/17/2022/2866 दिनांक 07.10.2023 से विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2023 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर परीक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे किन्तु अब एम.पी.ऑनलाईन द्वारा सीधे ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा कराने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त तारतम्य में मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) भर्ती नियम 1982 एवं समय-समय पर जारी किये गए संशोधनों एवं जारी विज्ञापन दिनांक 07.10.2023 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों को समाहित करते हुए, चयन संबंधी संशोधित अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

चयन संबंधी अनुदेश-

मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) भरती नियम 1982 के नियम 13 में उल्लेखित एवं अनुसूची-5 में दी गई योजना तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-55/2021/आ.प्र./एक दिनांक 31.01.2022 के अनुसार संधारित किये गये रोस्टर अनुसार सीधी भरती के माध्यम से आबकारी उपनिरीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना प्रावधानित है।

1- सामान्यः मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में आबकारी उपनिरीक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिये इच्छुक विभागीय (लिपिक वर्गीय/आरक्षक/मुख्यआरक्षक/उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में सम्मिलित आई.टी.ऑपरेटर) पुरुष / महिला कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

2- परिभाषायें: (क) "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

(ख) "अनुसूचित जाति से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रुप में विनिर्दिष्टि किया गया है।

(ग) "अनुसूचित जन जाति से अभिप्रेत हैं कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(घ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांकएफ 8-5-पच्चीस -4-84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" से अभिप्रेत है कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ-07-53/2019/आ.प्र./एक दिनांक 04 जनवरी 2020 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(छ) "विभाग" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश आबकारी विभाग जिसके अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है।

(ज) "समिति" से अभिप्रेत है आबकारी विभाग द्वारा गठित की गई चयन समिति ।

(झ) "प्रतियोगिता परीक्षा" से अभिप्रेत हैं एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षा।

8/12/23

(ठ) मध्यप्रदेश से तात्पर्य, मध्यप्रदेश राज्य है।

आरक्षण तालिका

श्रेणी	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	योग
पुरुष	8	7	11	17	3	46
महिला	4	4	6	8	1	23
योग	12	11	17	25	4	69

टीप- अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाना है। मुख्य भाग 87 प्रतिशत तथा प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत का पद विभाजन निम्नानुसार रहेगा:-

आबकारी उपनिरीक्षक		रिक्त पदों की संख्या					कुल पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद					कुल
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	
अ.	रिक्त पदों की संख्या	12	11	17	25	04	4	4	6	8	1	69
ब.	मुख्य भाग 87% (14% ओबीसी पदों) के आधार पर रिक्त पदों का विवरण।	12	11	17	13	04	4	4	6	4	1	57
स.	प्राथमिक भाग 13% (ओबीसी पदों) के आधार पर रिक्त पदों का विवरण	12 काल्पनिक	-	-	12	-	4 काल्पनिक	-	-	4	-	12

Abbreviation: UR- Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe,
OBC- Other Backward Classes, EWS- Economically Weaker Sections

(2) शासन नियमानुसार महिलाओं के लिये दिये गये 33 प्रतिशत हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज आरक्षण निर्धारित किया गया है।

(3) यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि आर्थिक-सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। महिलाओं के लिये आरक्षण "हारीजोन्टल- ओवरआल" स्वरुप का है। अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण के आधार पर चयन का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय में इस विषय पर लंबित याचिकाओं के निर्णयों पर आधारित रहेगा।

(4) शासन द्वारा आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के तहत पद सुरक्षित होंगे। भरे जाने वाले पदों की संख्या में परीक्षा के पूर्व आवश्यकतानुसार कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

(5) सीमित भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा।

3- पद का वेतनमान:

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान

1	आबकारी उपनिरीक्षक	9300-34800 ग्रेड-पे 3600

4- निर्धारित आयु सीमा:

(1) आयु की गणना 01 जनवरी, 2024 के संदर्भ में की जायेगी।

(2) आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी, जो आवेदक/कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) के सेवा अभिलेख/सेवा पुस्तिका में अंकित है। अत: आवेदक आवेदन पत्र में सेवा अभिलेख में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

(3) कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) के सेवा अभिलेख में अंकित विवरण को ही अंतिम एवं प्रमाणित माना जावेगा। उससे भिन्न किसी भी तथ्य को अन्य प्रमाण से सिद्ध मानकर, परीक्षा में भाग लेने की अर्हता का निर्धारण नहीं किया जायेगा।

(4) अधिकतम आयु सीमा शासन आदेश पृ.क्रमांक एफ 1/1/33/0001/2023/2/पांच भोपाल, दिनांक 05/10/2023 अनुसार अनारक्षित वर्ग के आवेदक/कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) हेतु 53 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचति जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आवेदक/कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) हेतु 58 वर्ष होगी। मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) भर्ती नियम 1982 में निर्धारित आयु सीमा में यह छूट केवल एक बार के लिये ही मिलेगी।

(5) शासन आदेश क्रमांक सी-40/84/3/1 दिनांक 11.01.1985 के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारण करने वाले शासकीय सेवक को निर्धारित आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

5- न्यूनतम शारीरिक अर्हताः

अभ्यर्थी के पास निम्मलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य होनी चाहिए.

शारीरिक अर्हता	पुरुष कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) के लिये	महिला कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) के लिये
ऊंचाई	165 से.मी.	152.4 से.मी.
सीना	81 से.मी. (सामान्य स्थिति में)	-
	86 से.मी. (फुलाने पर)	-

नोट- महिला उम्मीदवारों के लिये सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है।

(1) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी को ऊंचाई मापदण्ड में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जायेगी एवं चयन उपरांत निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होने पर चयन निरस्त किया जावेगा।

(2) जो उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें।

6- न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव:

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि

(2) आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में विगत पांच (05) वर्षों तक लिपिकवर्गीय/मुख्य आबकारी आरक्षक/आबकारी आरक्षक/उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में सम्मिलित आई.टी.ऑपरेटर के पद पर स्थाई या स्थानापन्न हैसियत से कार्य कर रहे हों,

7- शैक्षणिक योग्यता में छूट:

7.1 शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जावेगी, किन्तु अपवादित मामले में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/ चयन के लिये पात्र समझती हो।

8/12/23

7.2 निर्धारित समस्त अर्हताएं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक उम्मीदवार के पास अवश्य होनी चाहिये। उदाहरण के लिये यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष स्नातक की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा है और उसके पास स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह परीक्षा में बैठने के लिये पात्र नहीं है। इसी प्रकार अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम दिनांक के पश्चात जारी किये गये हैं उन्हें मान्य नहीं किया जावेगा एवं अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

8- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय निम्न-निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये:

(1) उक्त उल्लेखित पदों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता/पात्रता/आयु सीमा का बंधन व भर्ती का तरीका वही रहेगा जो मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) भर्ती नियम 1982 एवं इन नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधनों में वर्णित है।

(2) विभाग के ऐसे कर्मचारी जो तीन या अधिक बार आयोजित विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी।

(3) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को, जिला स्तर पर गठित समिति□, जिसमें संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी, अध्यक्ष तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता द्वारा नामांकित दो सहायक जिला आबकारी अधिकारी सदस्य होंगे के समक्ष उपस्थित होकर शारीरिक परीक्षण कराना होगा तथा शारीरिक योग्यता के बारे में समिति की रिपोर्ट, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। आबकारी आयुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) का शारीरिक मापदण्ड परीक्षण जिला ग्वालियर के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा ।

(4) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त विक्रम पुरस्कार धारकों/भारत शासन द्वारा प्रदत्त अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार धारकों एवं ओलंपिक गेम्स/एशियन गेम्स के मेडल प्राप्त कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) को 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेंगे।

(5) परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने तथा वापस जाने के लिये कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

9- अनर्हता (अपात्रता): कोई अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, इस परीक्षा हेतु अपात्र होगा।

10- परीक्षा की योजना:

एम.पी. ऑनलाईन द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे। जिसके अनुसार ऑनलाईन परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे।

(1) चयन का आधार:-

ऑनलाईन परीक्षा	ऑनलाईन परीक्षा एम.पी.ऑनलाईन, भोपाल द्वारा आयोजित की जायेगी। परीक्षा एक ही दिवस में दो पालियों में होगी। कुल दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 2 घण्टे 30 मिनिट की होगी। दोनों प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) भर्ती नियम 1982 एवं इन नियमों में समय-समय पर किये

8/12/23

	गये संशोधनों में वर्णित अनुसार होगा। ऑनलाईन परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न–पत्र में कम-से-कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) को प्रत्येक प्रश्न-पत्र के न्यूनतम अर्हकारी अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जावेगी, किन्तु उनका चयन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की चयन सूची में से योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जायेगा।
गोपनीय चरित्रावली	प्रत्येक अभ्यर्थी की विगत 05 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली का मूल्यांकन आबकारी आयुक्त द्वारा गठित की जाने वाली विभागीय समिति द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25.09.2023 में दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा। तदुपरांत उनके गोपनीय प्रतिवेदनों में प्राप्त मूल्यांकन को उनके लिखित प्राप्तांकों में जोड़ने हेतु परीक्षा कराने हेतु अधिकृत एजेंसी एम.पी. ऑनलाईन को भेजा जावेगा। दोनों के कुल अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट एम.पी. ऑनलाइन द्वारा जारी की जाएगी।

11- ऑनलाईन परीक्षा :

प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-

1- <u>प्रथम प्रश्न-पत्र</u>:- इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषयों पर आधारित 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.50 अंक का होगा :-

(क) <u>सामान्य ज्ञान</u> - सामाजिक विषय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें, भारत का इतिहास, भारत तथा मध्यप्रदेश के बारे में आधारभूत जानकारी, सामान्य विज्ञान और दिन-प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित सामान्य विज्ञान की व्यापक जानकारी। (अंक 60)

(ख) <u>सामान्य हिन्दी</u> - समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द, मुहावरे, शब्दों को संज्ञा / विशेषण / क्रिया का रूप देना, कठिन शब्दों के अर्थ, दोष पूर्ण शब्दों को शुद्ध करना आदि । (अंक 30)

(ग) <u>प्रारंभिक गणित</u> - गुणा, भाग, दशमलव अंक, भिन्न (फ्रैक्शन), प्रतिशत, मूलधन, ब्याज, लाभ-हानि, क्षेत्रफल, आयतन और सम्मिलित प्रश्न । (अंक 60)

2- <u>द्वितीय प्रश्न-पत्र</u>:- इस प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषयों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित होगें :-

(क) शासकीय सेवकों को लागू होने वाले सेवा नियम, जिनमें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 1977, मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम 1955, मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम तथा मूलभूत नियमों से संबंधित प्रश्न। (अंक 75)

(ख) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (धारा 145 से धारा 156) के उपबंध तथा आबकारी विभाग के प्रशासकीय गठन, कार्यकरण तथा कार्यों के व्यावहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न। (अंक 75)

12- लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याकंन के उपरान्त उन कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) की सूची तैयार की जावेगी, जिन्होंने दोनो ही प्रश्न-पत्रों में पृथक-पृथक रूप से 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत) या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों । समस्त कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) के गत 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्याकंन विभागीय समिति द्वारा किया जायेगा तथा परीक्षा कराने वाली एजेंसी एम.पी. ऑनलाईन को भेजा जाएगा । लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों, गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्याकंन एवं कण्डिका 8(4) में दिए गए अंकों में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार की जायेगी।

8/12/23

एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उम्मीदवार की मैरिट एवं प्रतिक्षा सूची जारी कर विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी । इस अंतिम सूची में से कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) की मेरिट के आधार पर, आबकारी उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा । अंतिम सूची में सम्मिलित किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति देने पर विचार करने के पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा मुख्यालय स्तर पर गठित एक समिति द्वारा उसकी शारीरिक योग्यता, सेवा अभिलेख, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों तथा अन्य प्रमाण-पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। समिति की रिपोर्ट, उसकी शारीरिक योग्यता का निर्णायक साक्ष्य होगी।

13- परीक्षा नियम/निर्देश आदि:-

(1) चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाऐंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।

(2) चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु एवं आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते है तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।

(3) चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो विभाग को चयन परिणाम सुधारने का पूर्ण अधिकार होगा।

14- उपरोक्तानुसार नियुक्त कर्मचारियों (अभ्यर्थियों) की पारस्परिक वरिष्ठता, अंतिम चयन सूची की वरिष्ठता पर आधारित होगी ।

इस योजना के अधीन आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी, दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त होगा। इस अवधि के दौरान उसे, सीधी भर्ती के आबकारी उपनिरीक्षकों के लिए विहित प्रशिक्षण पूरा करना होगा। यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक के पद के लिए उपयुक्त न पाया गया तो, उसे उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा ।

8/12/23

(ओमप्रकाश श्रीवास्तव)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश